176

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2660–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–07–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक–05/2011–12 /अपील.

.....

लक्ष्मीकान्त पुत्र राधेश्याम जाति सोनी
निवासी–ग्राम मानपुर तह0 व जिला
श्योपुर, म0प्र0 ------आवेदक

विरूद्ध

1– शान्तीदेवी पत्नी इन्दर जाति राय
सिख, निवासी–ग्राम मेवाड़ा का टपरा
तह0 व जिला–श्योपुर

2– मालती देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह
सोलंकी, निवासी–ग्राम हीरापुर तह0 करहाल
जिला–श्योपुर ------अनावेदकगण

.....

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20-6-16को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 05/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 19–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम हीरापुर तहसील श्योपुर में स्थित विवादित भूमि खाता क्रमांक 344 कुल किता 06 कुल रकबा 3.198 है0 हरवंश सिंह पुत्र तारा सिंह, जाति जाट सिख के भूमिस्वामित्व की भूमि है । भूमिस्वामी हरवंश सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण निगरानीकर्ता लक्ष्मीकान्त पुत्र राधेश्याम जाति सोनी, निवासी ग्राम मानपुर द्वारा वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमियों पर नामान्तरण किये जाने बावत् विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2007–08/अ–6 पर पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 31.03.2009 से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों पर मृतक हरवंशसिंह के स्थान पर वारिसान के आधार पर गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 के हक में नामान्तरण स्वीकार किया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, कराहल के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्र0 02/2008–09/अपील माल पर पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 08.09.2009 से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 23.02.2010 से गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 शांतीबाई के हक में नामान्तरण स्वीकार किया गया । निगरानीकर्ता द्वारा पुनः प्रथम अपील अनुविभागीय कराहल के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, कराहल द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2008–09/अपील माल में आदेश दिनांक 02.09.2011 से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2011–12/अपील पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 19.07.12 से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई । परिणामतः निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ निगरानी मेमों लिखे गये तथ्यों के संबंध में उभपयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार कराहल द्वारा दिनांक 23.02.2010 को आदेश पारित किया जाकर निगरानीकर्ता द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करते हुये गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 शांतीबाई बेवा हरवंश के नाम वारिसान के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया है । तहसीलदार कराहल द्वारा पारित आदेश नायब तहसीलदार कराहल द्वारा दिनांक 23.02.2010 को भेजे गये प्रतिवेदन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला गया है । प्रतिवेदन में नायब तहसीलदार द्वारा गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 शांतीबाई को मृतक हरवंश सिंह की पत्नी होना स्वीकार किया गया है । पत्नी होने के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा सुसंगत दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बोटर कार्ड को आधार माना है । तहसील न्यायालय की प्रकरण पत्रिका के पृष्ठ क्रमांक 13, 14 पर परिवार पत्र संलग्न है, जिसमें शांतीबाई के पति का नाम हरवंश लिखा हुआ है । पृष्ठ क्रमांक 16 पर पंचनामा की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें शांतीबाई के पति के रूप में बंशासिंह लिखा हुआ है । इसी प्रकार बोटर कार्ड पर भी शांतीबाई के पति के रूप में हरवंश लिखा है । जबकि पुष्ठ क्रमांक 10 पर खतौनी संवत 2064 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है, उसमें हरवंश सिंह जाति जाट सिख लिखा हुआ है । इस प्रकार से नायब तहसीलदार द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में शांतीबाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानकर वारिस के आधार पर नामान्तरण कर दिया गया है । जबकि मृतक हरवंशसिंह द्वारा निगरानीकर्ता के हक में सम्पादित वसीयतनामा में मृतक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मेरे कोई सगे संबंधी, भाई—बहिन भी परिवार में नहीं है । सगे संबंधी से तात्पर्य है कि उसकी पत्नी भी नहीं है । वसीयतनामा में उल्लेखित तथ्यों से तथा शांतीबाई द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किये दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि शांतीबाई के पति का नाम हरवंश है और हरवंश के पिता का नाम तारासिंह है । मृतक हरवंश सिंह के पिता का नाम भी तारासिंह है, इस नाम का फायदा उठाकर पत्नी बनकर विवादित भूमियों को हड़पने का प्रयास किया गया है । यदि पत्नी होती तो वसीयतकर्ता द्वारा वसीयतनामें में उसका उल्लेख अवश्य किया जाता। इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर तहसीलदार, कराहल, अनुविभागीय अधिकारी, कराहल एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा कोई विचार नहीं किया गया ।

अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर अधिक जोर दिया गया है कि वसीयतककर्ता हरवंश सिंह जाट सिख जाति का था तथा वसीयतर्कता लक्ष्मीकान्त सोनी जाति का है । इस प्रकार पृथक—पृथक जाति के होने के कारण इनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है इस संबंध में यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि भूमिस्वामी को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से किसी को भी वसीयत कर सकता है । ऐसा कोई नियम अथवा प्रावधान नहीं है कि वसीयतकर्ता अपने ही जाति के अथवा वर्ग के व्यक्ति को वसीयत करेगा । 1995 जे0एल0जे0 477 जमुनाबाई तथा अन्य विरूद्ध सुरेन्द्र कुमार तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया है कि बिल—वसीयतकर्ता के धर्म को नही मानने वाले व्यक्ति के पक्ष निष्पादित की जा सकती है— वसीयतकर्ता की शक्ति पर ऐसा कोई अधिरोध नहीं है कि वह उसके धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ही सम्पत्ति दें । इस प्रकार वसीयतकर्ता हरवंश सिंह की अंतिम इच्छा थी कि वह अपनी सम्पत्ति लक्ष्मीकान्त हो देवें । लक्ष्मीकान्त द्वारा उसके हक में सम्पादित वसीयतनामे को साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है । वसीयतनामा के दोनों गवाहों ने वसीयतनामें की पुष्टि की है । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि वसीयतनामा दो अनुप्रमाणिक साक्षियों से प्रमाणित होना चाहिये । विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वसीयतनामा साक्ष्य से प्रमाणित है क्योंकि अनुप्रमाणिक साक्षियों की साक्ष्य ही वसीयतनामा को प्रमाणित करने के लिये एकमात्र महत्व रखती है । गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक—1 शांतीबाई को तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक हरवंश सिंह की पत्नी होना स्वीकार किया गया है । जबकि शांतीबाई को अपने मॉ—बाप तथा सास—ससुर का नाम तक याद नहीं है । जिस व्यक्ति को अपने मॉ—बाप ओर सास—ससुर का नाम याद न हो वह किस आधार पर कह सकती है कि वही मृतक की पत्नी है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत न होने के कारण स्थिर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2010, अनुविभागीय अधिकारी, कराहल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2011 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2012 विधिसम्मत न होने के

कारण निरस्त किये जाते है और ग्राम हीरापुर तहसील कराहल, जिला–श्योपुर में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 414 रकबा 5 बीघा, 712 रकबा 1 बीघा, 812 रकबा 3 बीघा 5 विस्बा, 67 मिस–2 रकबा 15 विस्बा, 2012 रकबा 06 विस्बा पर मृतक हरवंशसिंह पुत्र तारासिंह जाति जाट सिख के स्थान पर वसीयतग्रहीता लक्ष्मीकान्त पुत्र राधेश्याम जाति सोनी, निवास–ग्राम मानपुर तहसील व जिला–श्योपुर के नामा नामान्तरण स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार कराहल को निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्व अभिलेख में अमल कराकर इस न्यायालय को सूचित करें । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम0क0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,